UPMZ050012262022

न्यायालय CIVIL JUDGE (S.D.), Muzaffarnagar

पीठासीन अधिकारी– (SRI RAGHUVANSH MANI SINGH), **(उ०प्र० न्यायिक सेवा)–UP01996**

मूल वाद संख्या 859 सन् 2022

अरूण कुमार **बनाम** **डा0 बसन्त कुमार जैन आदि।**

22.04.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार कराई गई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित। प्रार्थना पत्र 61क पर उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 61क

प्रार्थना पत्र 61क वादी की ओर से आदेश 23 नियम 1 व धारा 151 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त वाद में पक्षगण के मध्य समझौता हो चुका है, और एक्ट अपोन हो चुका है। इस कारण वादी वाद हाजा को चलाना नही चाहता है तथा वाद को विदड्रो करना चाहता है। इन्ही तथ्यों के आधार पर वादी द्वारा वाद विदड्रो किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति नही की गयी।

सुना तथा पत्राावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि वादी ने प्रस्तुत वाद स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया है। प्रार्थना पत्र 61क के माध्यम से वादी ने कथन किया है कि उपरोक्त वाद में पक्षगण के मध्य समझौता हो चुका है, और एक्ट अपोन हो चुका है। इस कारण वादी वाद हाजा को चलाना नही चाहता है तथा वाद को विदड्रो किये जाने की याचना की गयी है। वादी अपने वाद का स्वामी होता है। उसे वाद चलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा आपत्ति नही की गयी है तथा वादी अपना वाद चलाना नहीं चाहता है। ऐसी स्थिति में वादी का प्रार्थना पत्र 61क स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 61क स्वीकार किया जाता है। मूलवाद संख्या 859 सन् 2022 वादी को नियमानुसार वापिस किया जाता है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रघुवंश मणि सिंह)
सिविल जज (सी0 डि0)
मुजफ्फरनगर।
ID UP-1996